गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या का जिलावार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिले का नाम	परिवारों की संख्या
अहमदाबाद	2737
जामनगर	800
पंचमहल	841
भड़ूच	44
राजकोट	2415
कच्छ	354

पेयजल सुविधाएं ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति का विचार किए बिना बस्तियों को कवरेज की इकाई मानते हुए उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए इन जिलों के लिए वर्ष 1996 के दौरान बस्तियों की कवरेज तथा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं वाली कुल जनसंख्या का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:

जिलों का नाम	बस्तियों की संख्या	कवर की गई जनसंख्या
अहमदाबाद	23	34432
जामनगर	46	45595
पंचमहल	48	59678
भड़ूच	6	7625
राजकोट	32	52979
कच्छ	28	28412

(ख) इन जिलों में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996 के दौरान किसी ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय में पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उलपब्ध नहीं कराई गई हैं।

राज्यों को राष्ट्रीय संसाधनों से अतिरिक्त जल दिया जाना

2844. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात और अन्य राज्यों में पेयजल की बिगड़ती स्थिति की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन राज्यों को राष्ट्रीय संसाधनों से अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबंध किये गए है;

(ग) वर्तमान में दिल्ली को अन्य राज्यों से कितना जल मिल रहा है; और

(घ) राष्ट्रीय जल संसाधनों (नदियों) से कितना अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) (क) जी, हां। देश में 1.32 लाख बसावटों में से 53409 बिना पेयजल स्रोत वाली बसावटें हैं।

(ख) राष्ट्रीय जल नीति 1987 में अपनाई गई थी जिसमें सिंचाई तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की आयोजना में पेयजल प्रयोजनों हेतु जल के आवंटन को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(ग) वर्तमान में दिल्ली की भाखड़ा जलाशय से 368 क्यूसेक जल तथा अपर गंगा नहर से 200 क्यूसेक रामगंगा जल प्राप्त हो रहा है। यमुना जल में इसके प्राधिकृत अंश के अतिरिक्त हरियाणा द्वारा पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली को अतिरिक्त यमुना जल दिया जा रहा है।

(घ) राज्यों को नदियों से पीने के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त जल की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है।

Extension of Lal Dora Limit of Villages

2845. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether some proposals for extension of Lal Dora limit of villages in the country are pending with Government;

(b) if so, the details thereof, district-wise;

(c) whether Lal Dora limit has been extended in all the villages of Assam; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor, with the steps to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA):